

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
संकल्प

विषय:- छज्जुबाग, पटना में वरीय पुलिस पदाधिकारियों एवं वरीय सिविल पदाधिकारियों के आवासन हेतु डी-टाईप, एनेक्सी भवन तथा गार्ड रुम के निर्माण हेतु कुल ₹7124.62 लाख (एकहत्तर करोड़ चौबीस लाख बासठ हजार रुपये)मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

छज्जुबाग, पटना में वरीय आवासन योजना अन्तर्गत वरीय पुलिस पदाधिकारियों एवं वरीय सिविल पदाधिकारियों हेतु एक ब्लॉक-(बी0+जी0+7) (कुल क्षेत्रफल 131594.80 वर्गफीट), एक ब्लॉक- डी-टाईप भवन-(जी0+7) (कुल क्षेत्रफल 50763.53 वर्गफीट), एक ब्लॉक-एनेक्सी भवन (जी0+3) (कुल क्षेत्रफल 12046.36 वर्गफीट), गार्ड रुम (जी0)-2 अदद (कुल क्षेत्रफल 419.64 वर्गफीट) आदि का निर्माण किया जाना है।

2. विषयांकित निर्माण कार्य योजना के प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा ₹7124.62 लाख (एकहत्तर करोड़ चौबीस लाख बासठ हजार रुपये)मात्र का तकनीकी अनुमोदन दिनांक 27.01.2025 को प्रदान किया गया है, जो विभागीय पत्रांक-1120(भ) अनु0, दिनांक-31.01.2025 द्वारा प्रेषित है। योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा 18 माह होगी।

3. राज्य योजना के अन्तर्गत उक्त कार्य हेतु क्रमशः वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹50.00 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹21.2462 करोड़ का व्यय किया जायेगा। जिसका व्यय "मांग संख्या-03 के मुख्य शीर्ष-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-01-सरकारी रिहायशी भवन लघु शीर्ष-700-अन्य आवास उपशीर्ष-0101-अन्य आवास विपत्र कोड-03-4216017000101 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0101.53.01-मुख्य निर्माण कार्य" के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

4. छज्जुबाग, पटना में वरीय पुलिस पदाधिकारियों एवं वरीय सिविल पदाधिकारियों के आवासन हेतु डी-टाईप, एनेक्सी भवन तथा गार्ड रुम के निर्माण कार्य योजना की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-03.06.2025 में मद संख्या-23 के रूप में प्रदान की गई है। उक्त के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹7124.62 लाख (एकहत्तर करोड़ चौबीस लाख बासठ हजार रुपये)मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में योजना राज्य की उपलब्ध निधि से कार्यान्वित की जायेगी।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कुमार रवि)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-भवन/मु०अ०(प०)यो०प्राक्०-1-03/2025 5394 (1) पटना, दिनांक- 13/6/25
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (दो हार्ड कॉपी के साथ)
बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प की पाँच सौ मुद्रित प्रतियाँ विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-भवन/मु०अ०(प०)यो०प्राक्०-1-03/2025 5394 (1) पटना, दिनांक- 13/6/25
प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार वीरचंद पटेल पथ, पटना को (दो
अतिरिक्त प्रतियों सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-भवन/मु०अ०(प०)यो०प्राक्०-1-03/2025 5394 (1) पटना, दिनांक- 13/6/25
प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय
विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य
पदाधिकारी/मा. मंत्री भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता
प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण
विभाग/मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/निरूपण
उपभाग, निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, संरचना
अंचल/दक्षिण बिहार अंचल/उप निदेशक-1 एवं 2 अनुश्रवण एवं कार्यपालक अभियंता, संरचना
प्रमंडल सं०-1/गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग,
पटनाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

Sanadi